फतेहगढ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 08.07.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 228/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस व धारा 27/30 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभि0गण को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रामनारायण पुत्र बाबू सिंह 2. मनीष पुत्र रामनारायण तथा प्रकाश में आये अभि0गण 3. अजीत पुत्र शिवनरेश सिंह, 4. रामनरेश पुत्र बाबू सिंह 5. शिवनरेश पुत्र बाबू सिंह समस्त निवासीगण ग्राम मुडगांव थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा पकडे गये अभियुक्त रामनारायण सिंह उपरोक्त के कब्जे से लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस बरामद हुए जिनका उपयोग मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित किये जाने में किया है जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त राम नारायण सिंह उपरोक्त के विरूद्ध धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। अभि0गण उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रामनारायण पुत्र बाबू सिंह
2. मनीष पुत्र रामनारायण,
3. अजीत पुत्र शिवनरेश सिंह,
4. रामनरेश पुत्र बाबू सिंह
5. शिवनरेश पुत्र बाबू सिंह (समस्त निवासीगण ग्राम मुडगांव थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।)

घटना का विवरण- दिनांक 06.07.26 को अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा लोहे की राड ईंट पत्थर से हमला बोल देना तथा पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायर करना जिससे वादिया के पति सतेन्द्र सिंह के सिर में गोली लग जाना एवं पुत्र अभय व दोस्त राहुल के पैर में गोली लग जाना व मनोज के सिर में चोट आने व अन्य साथियों के चोट आने के सम्बन्ध में वादिया मुकदमा द्वारा दिनांक 06.07.2026 को दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार मु0अ0सं0 228/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस बनाम 01. रामनारायण पुत्र बाबू सिंह 02. मनीष पुत्र नामालूम, 03. हितेश पुत्र रामनारायण 04. गोल्डी पुत्र रामनरेश 05. धीरेन्द्र उर्फ गुड्डा पुत्र रघुनाथ सिंह निवासीगण मुडगांव थाना मोहम्मदाबाद व 20 से 25 अज्ञात साथियों नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में अभि0गण अजीत पुत्र शिवनरेश सिंह, रामनरेश पुत्र बाबू सिंह, शिवनरेश पुत्र बाबू सिंह समस्त निवासीगण ग्राम मुडगांव थाना मोहम्मदाबाद का नाम प्रकाश में आया है तथा अभि0गण 01. रामनारायण 02. मनीष 03. अजीत 04 रामनरेश 05. शिवनरेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर अभि0गण के कब्जे से घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 रिवाल्वर 32 बोर, 04 खोखा कारतूस , 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर , 03 लकडी के डण्डे व 01 लोहे का पाईप बरामद हुआ तथा अभियुक्त रामनारायण सिंह उपरोक्त के कब्जे से लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस बरामद हुए जिनका उपयोग मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित किये जाने में किया है जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त राम नारायण सिंह उपरोक्त के विरूद्ध धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण– अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अन्य अभि0गण चुप रहे और अभि0 रामनारायण ने बताया कि मेरा और निसाई के प्रधान पति सतेन्द्र सिंह के साथ जमीनी कब्जे एवं वर्चस्व को लेकर विवाद है। इसी कारण दिनांक 06.07.2026 को सतेन्द्र सिंह और उनके लडके व अन्य परिजन व सहयोगी विवादित जमीन पर आ गये थे जिस कारण हमारी उनसे मारपीट हो गयी थी और मैने अपने लाइसेन्सी रिवाल्वर से फायर कर दिये थे। शेष बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

01. रिवाल्वर 32 बोर, 04 खोखा कारतूस व 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर
02. 03 लकडी के डण्डे व एक लोहे का पाईप

अभियुक्त रामनारायण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0सं0 228/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 27/30 आयुध अधिनियम थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त मनीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0सं0 228/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 27/30 आयुध अधिनियम थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अजीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0सं0 228/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 27/30 आयुध अधिनियम थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त रामनरेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0सं0 228/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 27/30 आयुध अधिनियम थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त शिवनरेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0सं0 228/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/125/131 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 27/30 आयुध अधिनियम थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

01.प्रभारी निरीक्षक श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02.उ0नि0 श्री कपिल कुमार
03.उ0नि0 श्री लछिमन सिंह
04.हे0का0 सुनील कुमार
05.का0 भूपेन्द्र सिंह
06.का0 जितेन्द्र सिंह
07.का0 हरिओम चाहर
08.का0 शेखर कटारिया

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम-

01. प्रभारी उप निरी0 श्री संत कुमार
02. हे0का0 संदीप राव
03. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0-08.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अरूण यादव पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम माधौपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0स0- 802/2020 वाद संख्या 169/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

*फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 08.07.2026 को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष 10 माह का साधारण कारावास की सजा व 5000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार

को0 मो0 -है0 का0 राजेन्द्र सिंह

पैरोकार - का0 राजीब कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0-08.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अरूण यादव पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम माधौपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0स0- 802/2020 वाद संख्या 169/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

*फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 08.07.2026 को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष 10 माह का साधारण कारावास की सजा व 5000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार

को0 मो0 -है0 का0 राजेन्द्र सिंह

पैरोकार - का0 राजीब कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 08.07.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 200/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस के नामजद एंव वाछिंत अभियुक्त वीनेश को पुलिस मुठभेड़ 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.07.2026 को थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस मे नामजद व वाछिंत अभियुक्त अवधेश पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम कल्लू नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा **दिनांक 08.07.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर नामजद एंव वाछिंत अभियुक्त वीनेश निवासी उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

01. वीनेश पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम कल्लू नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
02. अवधेश पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम कल्लू नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.07.2026 को वादी श्री सुरेश सिंह पुत्र गयाराम निवासी ग्राम पुरैना थाना जलालाबाद जनपद शाहजाहपुर के लिखित प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पुत्र सोनेलाल को जान से मारकर शव को छिपाने की नियत से रास्ते में डाल देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 200/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम 01. अवधेश पुत्र रामभरोसे 02. विनेश पुत्र रामभरोसे निवासीगण ग्राम कल्लू नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । विवेचना के क्रम में नामजद व वाछिंत अभियुक्त अवधेश उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा घटना मे प्रयुक्त 01 डण्डा व ट्रैक्टर ट्राली को अभियुक्त की निशादेही पर बरामद किया गया तथा **दिनांक 08.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर नामजद एंव वाछिंत अभियुक्त वीनेश उपरोक्त को गुमटी संख्या 137 के सामने से ग्राम भोजपुर के सामने गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो वीनेश उपरोक्त द्वारा अवैध तमंचा से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिग में अभियुक्त वीनेश उपरोक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा कब्जे से बरामद 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।**

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अवधेश ने पूछताछ में बताया कि मुझे कुछ समय से शक था कि मेरी गैरमौजूदगी में मेरे घर पर कोई व्यक्ति आता-जाता है, जिसके कारण मैं निगरानी रखने लगा था। दिनांक 06.07.2026 को मैं बहाना बनाकर घर से बाहर चला गया तथा देर रात्रि वापस आने पर घर के अंदर सोनेलाल नामक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर वह गाली-गलौज करने लगा तथा परिवार के संबंध में अनर्गल बातें करने लगा, जिससे हमारे बीच कहासुनी व हाथापाई हो गई। गुस्से में मैंने पास पड़े डंडे से उसके सिर व चेहरे पर मार दिया और अपने भाई वीनेश को बुला लिया। वीनेश के आने पर हम दोनों ने घर में पड़ी रस्सी से सोनेलाल का गला कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखकर ब्रह्मदेव मंदिर के आगे सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया तथा मैं मौका पाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को छिपाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

अभियुक्त वीनेश ने बताया कि दिनांक 06.07.2026 की रात्रि भाई अवधेश के फोन पर उसके घर पहुंचा, जहां दोनों ने मिलकर रस्सी से सोनेलाल का गला कस दिया तथा शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली से ब्रह्मदेव मंदिर के आगे सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया। भाई अवधेश की गिरफ्तारी की जानकारी होने पर मैं छिपने जा रहा था। पुलिस टीम को देखकर पकड़े जाने के डर से मैंने अपने पास मौजूद तमंचे से पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। शेष बयान मैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

अभियुक्त वीनेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 200/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना कमालगंज
मु0अ0सं0 201/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज

अभियुक्त अवधेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 3056/2010 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना कमालगंज
मु0अ0सं0 200/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना कमालगंज

अभियुक्त वीनेश के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त अवधेश के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

01 लकड़ी का डण्डा व 01 ट्रैक्टर मय ट्राली(जिसमे शव को लेकर गये थे)

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम-

1. SHO श्री रामसहाय सिंह
2. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार
3. का0 तेजवीर
4. का0 रिन्कू चाहर
5. का0 हिमान्शू
6. का0 राहुल

मीडिया सेल फतेहगढ़।